_राजस्थान – सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

मु0नं0 686 / 2017 आदेश दिनांकः 16.03.2020

अनुवानी

मूलाराम आदि बनाम उत्तर पश्चिम रेलवे आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

आदेश

न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त अनुवानी दावा में प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि वादगत भूमि रेलवे की है और रेल भूमि होने के कारण ऐसा दावा प्रतिवादीगण रेलवे के विरूद्ध नहीं लाया जा सकता। इसलिए ऐसा दावा कानूनन बाधित है और माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसलिए यह दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में गलत अंकित किया गया है कि वादगत कृषि भूमि रेलवे की हो, केवल मात्र प्रतिवादी के कहने से वादगत भूमि रेलवे की हो जाती है। उक्त दावा विधि द्वारा वर्जित हो, मननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार न हो जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की है जिसके खसरा नम्बर 17, 83, 150, 145, 152, 53, 56, 54, 57, 64, 121, 135, 982 / 120, 193 / 120, 207 / 43, 65, 66, 119, 197 / 98, 943 / 72, 944 / 72, 53 / 56 हैं जिसको हमेशा से ही वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादगत कृषि भूमि के खातेदार हैं। वादगत कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड रेलवे की ओर से पेश नहीं किया है केवल कल्पना के आधार पर वादगत कृषि भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा रेलवे भूमि बतायी जा रही है। प्रतिवादीगण द्वारा कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि वादीगण का वाद किस कानून से व किस प्रकार से बाधित है, केवल मात्र कोई भी दावा के सम्बन्ध में बाधित शब्द लिख दिये जाने से वह बाधित नहीं हो जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा क्षेत्राधिकार बाबत आपत्ति की है जबकि वादगत भूमि राजस्व भूमि है, रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है इस कारण प्रकरण श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार का है। उक्त प्रकरण 2017 से चल रहा है तथा सन् 2017 में ही प्रतिवादीगण उपस्थित हो चुके हैं प्रतिवादीगण को क्षेत्राधिकार बाबत कोई आपत्ति नहीं रही है। उक्त प्रकरण के आदेश 8 नियम 9 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी थी पत्रावली उसके निर्णय के लिये नियत थी। आगामी कार्यवाही से बचने के लिये, प्रकरण को देरी करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए जाहिर

किया कि यह सही है कि वादपत्र में उल्लेखित भूमि वादीगण की खातेदारी की है परन्तु वादीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमियों के चिपते रेलवे की खातेदारी भूमि है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा में भली भांति मौजूद है। रेलवे की खातेदारी भूमि में तत्कालीन समय में ही सक्षम अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नाप जोख कर सीमा चिन्ह लगाये गये थे जो आज भी मौके पर मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में इतने समय पश्चात् सीमा सम्बन्धी विवाद बाबत रेलवे विभाग के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा कानूनन पोषणीय नहीं है। रेलवे लाईन के दोनों तरफ रेलवे की खाली भूमि पड़ी है जो रेल के सुचारू संचालन में सहायक है। उक्त रेलवे की भूमि पर आसपास के खातेदार अतिक्रमण कर अवरोध करते रहते हैं जिनको रेलवे विभाग हटाता रहता है। इस दावा में वादीगण की मन्शा प्रकट होती है जो दावा की आड़ में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं जबकि रेलवे विभाग की की भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है जिन पर किसी अन्य को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए दावा वादीगण कानूनन बाधित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादीगण कानूनन बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने बहस कथनों के समर्थन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों की प्रति पेश की।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादगत कृषि भूमियां वादीगण की खातेदारी व काश्तकारी की है जिस पर काबिज रहकर वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण इस दावा के जरिये अपनी खातेदारी कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु रेलवे विभाग के खिलाफ चिर स्थायी निषेधाज्ञा चाहते हैं। वादगत कृषि भूमि राजस्व भूमि होने से इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हैं इसलिए दावा वादीगण किसी भी कानून से बाधित नहीं है। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई तथ्य भी अंकित नहीं किया है कि दावा किस प्रकार से एवं किस कानून से बाधित है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर प्रतिवादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि उन्होंने इस प्रार्थना पत्र के जरिये रेलवे विभाग के खिलाफ चिरस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किये गये वादीगण के वाद को कानून से बाधित होना बताते हुए दावा खारिज किये जाने की मांग की है, जिसके मुख्य आधार प्रार्थीगण ने इस प्रकार से बताये हैं कि वादीगण द्वारा अपने दावा में मुख्य अनुतोष रेलवे विभाग के खिलाफ चिर स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रेलवे विभाग को वर्जित किया जावे कि वह वादीगण की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमियों में किसी भी तरह की दखलन्दाजी नहीं करें जबकि धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार रेलवे विभाग की भूमि प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है इसलिए रेलवे विभाग के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा का दावा इस न्यायालय में सुनवाई के योग्य नहीं है तथा रेलवे विभाग के खिलाफ किसी भी प्रकार का अनुतोष वादीगण कानूनन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रार्थी/प्रतिवादीगण के कथनानुसार वादीगण दावा की आड़ में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि रेलवे विभाग की भूमि की सीमा सक्षम कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा नाप जोख कर सीमा कायम कर सीमा चिन्ह निर्धारित किये हुए हैं जो मौके पर मौजूद

हैं तथा नक्शा भी उपलब्ध है जिसमें रेलवे विभाग की भूमि की सीमा स्पष्ट रूप से दर्शित की गई है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा रेलवे विभाग के खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत दावा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाधित प्रतीत होता है जो पोषणीय नहीं है। वादीगण को यदि अपने खातेदारी खेतों की सीमा का सही सीमांकन करते हुए सीमाज्ञान करना है तो सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद का उचित समाधान हो सके। रेलवे विभाग भारत सरकार द्वारा आम जन की सुविधा हेतु स्थापित किया गया है जिसके खिलाफ चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से विभाग के कार्य बाधित होंगे तथा आम जन को असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में वादीगण का यह दावा धारा 16 के प्रावधानों से बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना, विश्लेषण एवं विधिक प्रावधानों के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण विधिक प्रावधानों से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे की भूमियों में अनावश्यक दखलन्दाजी नहीं करें। वादीगण अपने खातेदारी खेतों का विधिवत सीमा ज्ञान सक्षम अधिकारी से करने के लिए स्वतन्त्र हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

पीठासीन अधिकारी : श्री अवि गर्ग आर0ए0एस0

अनुवानी

मूलाराम आदि

बनाम

उत्तर पश्चिम रेलवे आदि

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर 686 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री धन्नाराम सैनी एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब एवं श्री भंवरलाल दईया एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण विधिक प्रावधानों से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे की भूमियों में अनावश्यक दखलन्दाजी नहीं करें। वादीगण अपने खातेदारी खेतों का विधिवत सीमा ज्ञान सक्षम अधिकारी से करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 16 माह मार्च सन् 2020 को जारी की गई।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू